समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला योजना कार्यालय)
-: निविदा आमंत्रण सूचना :-

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्य योजना के तहत अनुमोदित योजना खेल–कूद सामग्री के आलोक में मधुबनी जिला अंतर्गत सीमावर्त्ती सात प्रखंडों यथा (मधवापुर, हरलाखी, बासोपट्टी, जयनगर, लदनियाँ, लौकही एवं खुटौना) में पड़ने वाले कुल 07 (सात) हाई स्कूल में खेल–कूद सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 3/2/17........ को अपराह्ण 01:00 बजे तक निबंधित प्रतिष्ठानों से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक : 3/2/17 .... को ही अपराह्ण 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समझ खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। खेल–कूद सामग्री एवं हाई स्कूल की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : ....3/2/17.... को अपराह्ण 01:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा www.prdbihar.gov.in and www.madhubani.bih.nic.in जिला के बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकी निविदा में 50,000–/ (पचास हजार) रूपये मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से देय एवं मधुबनी में भुगतेय हो संलग्न रहना चाहिए।
2. निविदादाता को आयकर, वाणिज्यकर आपूर्त्तिकर्त्ता को दुकान एवं प्रतिष्ठान से निबंधित/उत्पादनकर्त्ता को लघु उद्योग से निबंधित होना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। (वित्तीय वर्ष 2015–16, 2014–15 एवं 2013–14)
4. निविदादाता को अंकेक्षित बैलेंस सिट विगत तीन वर्षो तक में कुल Turn over मो0 1,50,00,000.00 (एक करोड़ पचास लाख) रूपये का होना अनिवार्य है। (वित्तीय वर्ष 2015–16, 2014–15 एवं 2013–14)
5. फर्म के नाम पर गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण पत्र एवं सभी सामग्री ISI मार्का का होना चाहिए।
6. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
7. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
8. निविदादाता के द्वारा अगर किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो कम्पनी का प्राधिकृत प्रमाण–पत्र नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित देना होगा।
9. निविदादाता को समरूप खेल–कूद से संबंधित अधिष्ठापन कार्य एवं आपूर्त्ति का अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि भी ISO तथा बिहार राज्य में M.S.M.E Rgd होगें उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।
11. सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 लागू रहेगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें –

12. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सूची के अनुसार सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्तें –

13. जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
14. निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा लिफाफ एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा निविदा लिफाफ अवश्य लिखा होना चाहिए। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
15. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
16. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार स्त्रोंत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
17. सभी सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित हाई स्कूल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
18. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
19. कार्यादेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर चिन्हित हाई स्कूल में करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा एजेंसी द्वारा देय होगी। अन्यथा संबंधित फर्म की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
20. वैट की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
21. एकरारनामा के साथ Performance Security Deposit (एकरारनामा की राशि का 05 प्रतिशत) बैंक गांरटी/NSC जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से प्लेज किया हुआ जमा करना होगा। जिसकी बैधता 180 दिनो की अवधि तक रहनी चाहिए। Security Money की वापसी कार्य समाप्ति के पश्चात की जायेगी।
22. विवाद की स्थिति में न्यायलय, मधुबनी का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
23. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
24. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) अन्य शर्तें –

1. सामग्री की आपूर्ति के क्रय में सामग्री के परिवहन में हुई किसी प्रकार की क्षति के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

7/1/17

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।